

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2017-18

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग में वेबसाइट www.dtempcounselling.org या dte.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों-सह-कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पाठ्यक्रम एवं काउंसलिंग के चरण	चरण	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/दस्तावेजों की ऑनलाईन सत्यापन सुविधा	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाईन चयन कर लॉक करना	कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों का सत्यापन/आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश	अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/दस्तावेजों की सत्यापन/आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश
जेईई मेन-2017 की मेरिट पर आधारित <i>सामान्य पूल एवं TFW की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित</i>	प्रथम	प्रक्रिया समाप्त	प्रक्रिया समाप्त	प्रक्रिया समाप्त	28/06/2017 से 07/07/2017 (प्रातः 11 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	28/06/2017 से 07/07/2017 सांय 5 बजे तक	10/07/2017 से 14/07/2017 सांय 5 बजे तक
	द्वितीय	28/06/2017 से 15/07/2017 रात्रि 11:45 बजे तक	10/07/2017 से 15/07/2017 रात्रि 11:45 बजे तक	16/07/2017	18/07/2017 से 20/07/2017 (प्रातः 11 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	-निरंक-	-निरंक-
आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन							
संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिये (जेईई मेन-2017 आधार पर प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिये)		-निरंक-	21/07/2017 से 22/07/2017 सांय 5 बजे तक	ब्रांच परिवर्तन की सूची एवं आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता			
				24/07/2017			
अर्हकारी परीक्षा की मेरिट पर आधारित चरण							
अर्हकारी परीक्षा आधारित (रिक्त रह गई सीटों के लिये)		10/07/2017 से 25/07/2017 रात्रि 11:45 बजे तक	10/07/2017 से 25/07/2017 रात्रि 11:45 बजे तक	26/07/2017	27/07/2017 से 31/07/2017 (प्रातः 11 बजे से सांय 5:00 बजे तक कार्य दिवसों में)	-निरंक-	-निरंक-
शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तीय संस्थाओं हेतु केन्द्रीयकृत विशेष चरण (सीटें रिक्त रहने पर)							
जेईई मेन-2017 की मेरिट/अर्हकारी परीक्षा आधारित		02/08/2017 से 05/08/2017 दोपहर 03:00 बजे तक	02/08/2017 से 05/08/2017 रात्रि 11:45 बजे तक	06/08/2017	07/08/2017 से 09/08/2017 सांय 5 बजे तक	-निरंक-	-निरंक-
संस्था स्तर की काउंसलिंग (केवल निजी संस्थाओं हेतु) (सीटें रिक्त रहने पर)							
जेईई मेन-2017 की मेरिट/अर्हकारी परीक्षा आधारित		02/08/2017 से 13/08/2017 दोपहर 03:00 बजे तक	संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रेशन पूर्ण कर चुके अभ्यर्थी पोर्टल पर संस्था/ब्रांच की उपलब्ध रिक्तियों का अवलोकन कर इच्छुक संस्था में दिनांक 14/08/2017 को उपस्थित होकर सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क के साथ प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।				

महत्वपूर्ण निर्देश

पंजीयन (Registration) :-

1. काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर **केवल एक बार पंजीयन** कराना आवश्यक होगा, जो कि **निःशुल्क** रहेगा। काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
2. ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी/वर्ग का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/आधार नंबर/समग्र आईडी नंबर के आधार पर ऑनलाईन-सत्यापन किया जाकर पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी।
3. प्रथम/द्वितीय चरण **JeeMain-2017** आधारित अथवा अर्हकारी परीक्षा आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है।

प्राथमिकताक्रम का चयन (Choice Filling):-

1. जेईई (मेन) 2017 के आधार पर आयोजित काउंसलिंग में सामान्य पूल की सीटों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना की सीटों पर भी प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थियों को कॉमन रूप से च्वाइस फिलिंग कर लॉक करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 25 तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण में संस्थाओं की ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाइस फिलिंग)** उपरांत लॉक की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाइस फिलिंग)** को लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग व आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1530/- (काउंसलिंग शुल्क ₹400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1000/- एवं पोर्टल शुल्क ₹130/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को **प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाइस फिलिंग)** करने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क ₹1130/- (₹130/-पोर्टल शुल्क सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)।

आवंटन (Allotment):-

1. जेईई (मेन) 2017/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित चरण में मेरिट अनुसार प्राथमिकताक्रमानुसार सीट का आवंटन जारी किया जायेगा।

सत्यापन (Verification) :-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाएँ आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था का आवंटन जारी हुआ है, एवं उन्हें पंजीयन के उपरान्त पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है, जिसमें दर्शाये गये सभी दस्तावेजों के सामने सत्यापित (**verified**) दर्शाया गया है वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था का आवंटन जारी हुआ है, एवं पंजीयन के उपरान्त प्राप्त पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची में एक भी दस्तावेज के सामने असत्यापित (**Not Verified**) दर्शाया गया है, तब उन्हें अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र से करवाने के उपरान्त आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
4. दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक हैं, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन नहीं करवाना होगा।

5. यदि पंजीयन में गलत जानकारी के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के समय अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त हुआ है, तथा वह काउंसलिंग के आगामी चरण में शामिल होने का इच्छुक है, तो पंजीयन में यथा-सुधार कर काउंसलिंग के आगामी चरण में शामिल हो सकते हैं।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण के आवंटन उपरान्त अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत किया है, उन्हें अपग्रेडेशन आवंटन जारी होने के पश्चात उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

अपग्रेडेशन एवं प्रवेश (Upgradation and Admission):-

1. जेईई (मेन) 2017 के आधार पर आयोजित प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी अतः अभ्यर्थी यदि प्रथम चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का इच्छुक है तब उसे ऑनलाइन अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
2. अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों को, अपग्रेडेशन होने पर नया आवंटन पत्र प्राप्त करना होगा तथा उन्हें आवंटन प्रिंटआउट में दर्शाई गई नई आवंटित संस्था में अंतिम तिथि तक (उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर) रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करना होगा। अपग्रेडेशन न होने पर पूर्व में आवंटित संस्था में, नया आवंटन पत्र प्राप्त कर उसमें दर्शाई गई अंतिम तिथि तक (उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर) रिपोर्ट कर प्रवेश प्राप्त करें। (अपग्रेडेशन में उन्हें, उनके द्वारा जिन संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये प्राथमिकताक्रम का चयन किया गया था उनमें से उन्हें आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम की प्राथमिकता सूची में से ऊपर की संस्थाओं/पाठ्यक्रमों के लिये आवंटन हेतु अवसर मिलेगा।)
3. यदि किसी अभ्यर्थी को आवंटन जारी होते समय सीट आवंटन नहीं हुआ है तो उन्हें स्वतः ही अपग्रेडेशन राउंड में सम्मिलित किया जाकर अपग्रेडेशन की कार्यवाही की जावेगी।

आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Sliding) :-

1. संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपरान्त, रिक्त एवं ड्रॉपआउट सीटों पर ऑनलाइन प्राथमिकताक्रम प्रस्तुत कर आन्तरिक ब्रांच परिवर्तन का विकल्प प्रवेशित संस्था में दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित पोर्टल शुल्क ₹100/- देय होगा। ब्रांच परिवर्तन होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश परिवर्तित ब्रांच में स्वतः ही मान लिया जावेगा।

प्रवेश (Admission) :-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाएँ आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था का आवंटन जारी हुआ है, एवं उन्हें पंजीयन के उपरान्त पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है, जिसमें दर्शाये गये सभी दस्तावेजों के सामने सत्यापित (verified) दर्शाया गया है वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें निजी संस्था का आवंटन जारी हुआ है, एवं उन्हें पंजीयन के उपरान्त पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन की प्राप्त पर्ची में दर्शाये गये सभी दस्तावेजों में से कुछ के सामने सत्यापित (Verified) एवं कुछ के सामने असत्यापित (Not Verified) दर्शाया गया है, तब वे अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र से करवाने के उपरान्त आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

विशेष चरण (Special Round)

1. प्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त तथा स्ववित्तीय संस्थाओं में जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में केन्द्रीयकृत विशेष चरण की काउंसलिंग आयोजित की जायेगी जिसमें जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के पंजीकृत अभ्यर्थियों को क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा।

संस्था स्तर काउंसलिंग (College Level Counselling)

1. प्रदेश के निजी संस्थानों में जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित की जायेगी जिसमें जेईई (मेन) तथा अर्हकारी परीक्षा के पंजीकृत अभ्यर्थियों को क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश का अवसर प्रदान किया जायेगा। पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी इच्छुक संस्था में निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
2. संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को पृथक से पंजीयन कराना अनिवार्य है।

सामान्य निर्देश

1. मध्यप्रदेश शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पाल्य/मध्यप्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों के पाल्य जो जेईई (मेन)-2017 मेरिट रैंक में हैं, पंजीयन उपरान्त इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) कर लॉक कर सकेंगे।(मेरिट रैंक की जानकारी के लिये वेबसाइट देखें)
2. अभ्यर्थी स्वयं का विशेष मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी तैयार रखें।
3. प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें। काउंसलिंग संबंधी समस्त ईमेल/एसएमएस सुरक्षित रखें।
4. सत्यापन उपरांत सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरित पावती अवश्य प्राप्त करें।
5. शुल्क का भुगतान ई-वालेट (**Paytm**)/इंटरनेट बैंकिंग/एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्र (काउंसलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है।
6. प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) उपरांत लॉक करने के लिये नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन उपरांत च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एमपी मोबाइल (**MPMobile**) एन्ड्रॉयड एप पर कहीं से भी संपादित कर सेव (**Save**) कर लें, तत्पश्चात् ही किसी अधिकृत सहायता केन्द्र/कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
7. अधिकृत सहायता केन्द्रों (Help Centres) (सूची वेबसाइट dte.mponline.gov.in/dtempcounselling.org पर उपलब्ध रहेगी) की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
8. सहायता केन्द्रों या आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेज कदापि जमा न करें तथा सत्यापन उपरांत वापिस ले लें। किसी भी अनजान व्यक्ति, एजेंट/दलालों को अपने दस्तावेज/फोटोकापी न दें।
9. प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अभ्यर्थी सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे।

अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों हेतु महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियां

1. मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं करें। आवंटित संस्था में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की केवल फोटोप्रति ही जमा करनी हैं। संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
2. काउंसलिंग में पंजीयन (**Registration**) के लिये ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर पूर्व से निर्धारित कर लें। काउंसलिंग पंजीयन, प्राथमिकता चयन, आवंटन, सत्यापन एवं संस्था में रिपोर्टिंग इत्यादि संबंधी आवश्यक निर्देश उक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही भेजे जावेंगे।
3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी तदानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही संपादित करें।
4. शुल्क के विवरण हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाइट www.afrcmp.org देखें।

सम्पर्क फोन नम्बर : 0755-4036802

सही
अध्यक्ष-काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश